कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : फा. 15(59)सचिरा/नियम/80 पार्ट–3 दिनांक : 9/10/2014

उप/सहायक रजिस्ट्रार
सहकारी समितियाँ,
समस्त

विषय : ग्राम सेवा सहकारी समितियों के उपनियमों में संशोधन बाबत।

——00——

उपरोक्त विषयान्तर्गत संविधान के 97वें संशोधन के आलोक में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में हुए संशोधन के आलोक में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के उपनियमों को अधिनियम संशोधन से सुसंगत बनाये जाने हेतु पूर्व में उक्त संस्थाओं के उपनियमों में संशोधन जारी किये गये थे। उक्त संशोधनों को अधिक सुगम एवं व्यवहारिक बनाये जाने की दृष्टि से एवं फील्ड से प्राप्त सुझावों के आधार पर कतिपय उपनियमों में संशोधन प्रस्तावित कर इस पत्र के साथ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि आप ग्राम सेवा सहकारी समितियों में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत संलग्न उपनियम संशोधन संबंधित संस्थाओं को प्रस्तावित करते हुए संशोधन संबंधी आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

क्रमांक : फा. 15(59)सचिरा/नियम/80 पार्ट–3 दिनांक : 9/10/2014

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त/संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियाँ, समस्त
2. संयुक्त पंजीयक (बैंकिंग)/उप पंजीयक (आयोजना), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि0, जयपुर।
4. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. गार्ड पत्रावली ।

उप रजिस्ट्रार (नियम)

ग्राम सेवा सहकारी समितियों के उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन

<table>
<tr><th>उपनियम संख्या</th><th>वर्तमान प्रावधान</th><th>प्रस्तावित संशोधन</th></tr>
<tr><td>9(3)(क)</td><td>(क) व्यवस्थापक द्वारा संस्था के सदस्यों की सूचियां निम्नानुसार पृथक–पृथक तैयार की जायेगी–
(अ) अनुसूचित जाति के सदस्यों की,
(ब) अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की,
(स) महिला सदस्यों की,
(द) अऋणी सदस्यों की
(य) शेष सदस्यों की सूची, जिनके नाम क्रमांक (अ) से (द) की सूचियों में न हों।
प्रत्येक सूची में सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम, उसका पूर्ण पता, सदस्यता क्रमांक एवं सदस्यता की प्रवेश तिथि अंकित करना आवश्यक होगा।</td><td>(क) व्यवस्थापक द्वारा संस्था के सदस्यों की सूचियां निम्नानुसार पृथक–पृथक तैयार की जायेगी–
(अ) ऋणी सदस्यों की
(ब) अऋणी सदस्यों की
प्रत्येक सूची में सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम, उसका पूर्ण पता, सदस्यता क्रमांक अंकित करना आवश्यक होगा।</td></tr>
<tr><td>11(1)</td><td>संस्था के संचालक मण्डल का गठन निम्न प्रकार से होगा–<table><tr><td>i.</td><td>अध्यक्ष</td><td>एक</td></tr><tr><td>ii.</td><td>उपाध्यक्ष</td><td>एक</td></tr><tr><td>iii.</td><td>अन्य निर्वाचित सदस्य</td><td>दस</td></tr><tr><td>iv.</td><td>केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध</td><td>एक</td></tr></table></td><td>संस्था के संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित संचालकों सहित कुल 15 सदस्य निम्न प्रकार होंगे –<table><tr><td>i.</td><td>अध्यक्ष</td><td>एक</td></tr><tr><td>ii.</td><td>उपाध्यक्ष</td><td>एक</td></tr><tr><td>iii.</td><td>अन्य निर्वाचित सदस्य</td><td>दस</td></tr><tr><td>iv.</td><td>केन्द्रीय सहकारी बैंक के</td><td>एक</td></tr></table></td></tr>
</table>

	निदेशक या उसका प्रतिनिधि	
v.	क्रय विक्रय सहकारी समिति का मुख्य कार्यकारी या उसका प्रतिनिधि	एक
vi.	मुख्य कार्यकारी (व्यवस्थापक) सदस्य सचिव	सदस्य सचिव

	प्रबन्ध निदेशक या उसका प्रतिनिधि	
v.	क्रय विक्रय सहकारी समिति का मुख्य कार्यकारी या उसका प्रतिनिधि	एक
vi.	मुख्य कार्यकारी (व्यवस्थापक) सदस्य सचिव	एक

11(2)(क) निर्वाचित होने वाले सदस्यों में से चार स्थान निम्नानुसार आरक्षित होंगे (यदि उस वर्ग या प्रवर्ग से सदस्य हों) :–

1.	अनुसूचित जाति ऋणी सदस्यों में से	एक
2.	अनूसूचित जनजाति ऋणी सदस्यों में से	एक
3.	ऋणी महिला सदस्यों हेतु	दो

शेष 7 सदस्य किसी भी वर्ग से निर्वाचित किए जा सकेंगे, किन्तु शर्त यह है कि

निर्वाचित होने वाले ऋणी सदस्यों में से चार स्थान निम्नानुसार आरक्षित होंगे (यदि उस वर्ग या प्रवर्ग से सदस्य हों) :–

1.	अनुसूचित जाति	एक
2.	अनूसूचित जनजाति	एक
3.	महिला	दो

शेष 8 सदस्य किसी भी वर्ग से निर्वाचित किए जा सकेंगे, किन्तु शर्त यह है कि उनमें से एक सदस्य उन सदस्यों में से, उन सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जावेगा, जो संस्था के अऋणी सदस्य हैं। किन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां संस्था ने पिछले तीन वर्षों में वित्तीय बैंक से अपने सदस्यों हेतु किसी प्रकार का ऋण प्राप्त

	उनमें से एक सदस्य उन सदस्यों में से, उन सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जावेगा, जो संस्था के अऋणी सदस्य हैं। किन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां संस्था ने पिछले तीन वर्षों में वित्तीय बैंक से अपने सदस्यों हेतु किसी प्रकार का ऋण प्राप्त नहीं किया हो। साथ ही यह भी कि ऐसा निर्वाचित अऋणी सदस्य संस्था के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु योग्य नहीं होगा। स्पष्टीकरण– ऋणी सदस्य से तात्पर्य ऐसे सदस्य से है, जिसने संस्था से पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में कम से कम एक बार नकद या कृषि आदान के रूप में ऋण लिया हो।	नहीं किया हो। साथ ही यह भी कि ऐसा निर्वाचित अऋणी सदस्य संस्था के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु योग्य नहीं होगा। स्पष्टीकरण– ऋणी सदस्य से तात्पर्य ऐसे सदस्य से है, जिसने संस्था से पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में कम से कम एक बार नकद या कृषि आदान के रूप में ऋण लिया हो।
11(2)(ख)	संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन हेतु उपविधि 9 (3) में वर्णित सदस्यता सूचियों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र होंगे। क्रमांक (अ), (ब) व (द) के निर्वाचन क्षेत्रों से एक–एक प्रतिनिधि का, (स) से दो महिला सदस्यों का तथा क्रमांक (य) क्षेत्र से सात प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा।	संचालक मण्डल के सदस्यों के निर्वाचन हेतु उपविधि 9 (3) (क) में वर्णित सदस्यता सूचियों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र होंगे। उपविधि 9(3)(क)(अ) से 11 एवं 9(3)(क)(ब) से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा।
11(2)(ग)	यदि उपरोक्त आरक्षित स्थानों पर निर्धारित संख्या में संबंधित वर्ग के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है तो ऐसे रिक्त स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार संचालक मण्डल द्वारा	संचालक मण्डल के रिक्त स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार की जायेगी।

	संबंधित वर्ग के सदस्यों अथवा सामान्य वर्ग से सहवरण द्वारा की जायेगी।	
11(2)(घ)	संचालक मण्डल के 12 सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा के सदस्यों द्वारा अधिनियम एवं नियमों में विहित प्रक्रिया से किया जावेगा। इस प्रकार से निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन संचालक मण्डल की प्रथम बैठक, जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस हेतु बुलाई गई हो, में करेंगे। रजिस्ट्रार द्वारा मनोनीत सदस्य इस बैठक में भाग तो ले सकेंगे, किन्तु निर्वाचन में मत नहीं दे सकेंगे।	संचालक मण्डल के 12 सदस्यों का निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा करवाया जावेगा। निर्वाचन कार्यक्रमानुसार निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।
11(5)(घ)	संचालक मण्डल का कोई निर्वाचित सदस्य संचालक मण्डल की निरन्तर 3 बैठकों से अध्यक्ष की अनुमति बिना अनुपस्थित रहे तो संचालक मण्डल से उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एवं तत्पश्चात् इसे आगामी बैठक में आमंत्रित नहीं किया जायेगा।	संचालक मण्डल की बैठक की सूचना सभी सदस्यों को विधिवत रूप से दी जायेगी। संचालक मण्डल का कोई निर्वाचित/सहयोजित सदस्य यदि संचालक मण्डल की निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो ऐसे सदस्य के विरूद्ध राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 30 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजिस्ट्रार को सूचित करेगा।